यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़** के माह 01/2018 से माह 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **सुश्री** सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.02.2019 से 23.02.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया ।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 18.01.2018 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 12/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 12/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 01/2018 से 01/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 01/2018 से 01/2019 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2016-17	992.51
2017-18	210.88670
2018-19 (01/19 तक)	171.52698

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	588.51	588.51	-	-	-	-
2016-17	-	-	643.06	643.06	-	-	-	-
2017-18	-	-	211.02	211.02	789.92	789.92	-	-
2018-19 (01/19)	-	-	528.26	208.96	313.65	297.97		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2018-19	एस0वी0ए/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत कृषि एवं सेवधर्म योजना	-	104	104	
2018-19	इन्टन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	1.93	1.93	

इकाई को बजट आवंटन शासन/मुख्यालय से द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो
का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....कोई नहीं..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-1 :एनपीवी की राशि व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि न लिये जाने से राजस्व क्षति ₹ 94.10 लाख ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन के लिये वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु नेट प्रेजेण्ट वैल्यू (NPV) लेने के सम्बंध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F-3/2007-FC दिनाँक 05.02.2009 द्वारा विभिन्न इको क्लास एवं विभिन्न सघनता वाले वनों हेतु एन॰पी॰वी॰ की दरों का निर्धारण किया गया था। कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण के सापेक्ष देय धनराशियों का निर्धारण निम्नवत किया गया था:

वसूली वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे॰ (₹ में)	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (₹ में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का रोपण
2016-17	230302.00	345312.00	₹ 1000/वृक्ष
2017-18	253332.00	379843.00	₹ 1000/वृक्ष
2018-19	278665.00	417827.00	₹ 1100/वृक्ष

उक्त के अतिरिक्त प्रभावित वृक्षों के 10 गुणी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियम 3.2(7)(ख) के अनुसार एक हेक्टेअर तक वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव के मामलों में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या के 10 गुने के बराबर वृक्षों की पौध का आरोपण करना होगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन-प्रभाग के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा में जाँच किये जाने पर निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

(A) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय), देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यूसीपी/06/112/2017/एफसी/1427 दिनाँक 17.10.2018 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बुंगाछीना-अनगड़ा से कचना मोटर मार्ग (लंबाई 4.250 किमी) हेतु 2.203 हे॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी थी। हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि इको क्लास-VI तथा हरियाली घनत्व 0.2 था एवं जिसकी एन॰पी॰वी॰ दर ₹ 6,99,000/- प्रति हेक्टेअर थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन॰पी॰वी॰ की मद में 2.203 हेक्टेअर वन भूमि हेतु एनपीवी दर ₹ 6,57,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से ₹ 14,47,371/- की धनराशि ही जमा की गयी थी, जो कि ₹ 92,526 कम थी। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग की लंबाई 4.250 किमी हेतु वसूली वर्ष 2018-19 में रोड साइड वृक्षारोपण हेतु भी कोई राशि जमा नहीं कराई करायी गयी थी। नियमानुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निम्नवत धनराशि जमा करायी जानी थी:

मद	दर (₹ में)	क्षेत्रफल /संख्या	देय धनराशि (₹ में)	जमा की गयी राशि (₹ में)	अन्तर (₹ में)
क्षतिपूरक वृक्षारोपण	278665 प्रति हेक्टेअर	4.406 हेक्ट॰	1227797.00	1227797.00	0
रोड साइड वृक्षारोपण	417827.00 प्रति किमी	4.250 किमी	1775765.00	0	1775765.00
योग			**30,03,562.00**	**12,27,797.00**	**17,75,765.00**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 92,526/ NPV की राशि तथा रोड साइड वृक्षारोपण मद में ₹ 17,75,765/- (कुल ₹ 18,68,291/-) की राशि कम जमा की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा इको क्लास संशोधित किये जाने हेतु अवगत कराया गया जिसे संशोधित कर इको क्लास-V किया गया व घनत्व 0.2 किया गया जिसकी दर 6,57,000/- प्रति हेक्टर है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि रोड साइड वृक्षारोपण में राशि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 1427 दिनाँक 17.10.2018 के बिन्दु संख्या-05 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जमा नहीं करायी गयी।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित Central Empowered Committee द्वारा अपने आदेश 1-19/CEC/SC/2006-Pt दिनाँक 05.06.2018 के द्वारा इको क्लास अनुसार निर्धारित दरों अनुसार एनपीवी नहीं ली गयी थी। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में भारत सरकार का एनपीवी संशोधित किये जाने का कोई निर्णय प्रभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही रोड साइड वृक्षारोपण की राशि भी नियमानुसार जमा नहीं करायी गयी थी।

(B) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय), देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यूसीपी/06/126/2018/एफसी/2017 दिनाँक 24.12.2018 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौउमन्या किमी 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग (लंबाई 10.700 किमी) हेतु 4.661 हे॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन॰पी॰वी॰ की मद में 4.661 हेक्टेअर वन भूमि हेतु एनपीवी दर ₹ 6,57,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से ₹ 30,62,277/- तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वसूली वर्ष 2018-19 की दर ₹ 2,78,665/- प्रति हेक्टेअर की दर से 9.332 हे॰ भूमि हेतु ₹ 25,97,715/- की धनराशि ही जमा की गयी थी। परन्तु, मोटर मार्ग की लंबाई 10.700 किमी हेतु वसूली वर्ष 2018-19 में रोड साइड वृक्षारोपण हेतु दर ₹ 4,17,827/- प्रति किमी की दर से ₹ 44,70,749/- की राशि जमा नहीं कराई करायी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 1427 दिनाँक 17.10.2018 के बिन्दु संख्या-05 में अधिरोपित शर्त के अनुसार धनराशि जमा नहीं करायी गयी। डिमांड नोट विभाग द्वारा जनरेट कर क्षतिपूरक व एनपीवी की धनराशि आदेशानुसार जमा की गयी है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार रोड साइड वृक्षारोपण की धनराशि भी वसूल की जानी थी जो कि नहीं की गयी।

(C) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय), देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यूसीपी/01/38/2018/एफसी/2183 दिनाँक 17.01.2019 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर

के अन्तर्गत 21 मेगावाट क्षमता की खुटानी लघु जल विद्धुत परियोजना के निर्माण हेतु 3.52 हे॰ वनभूमि का गैर-वानिकी कार्य हेतु खुटानी कम्पनी प्रा॰ लि॰ को 40 वर्षों की लीज पर दिये जाने की विधिवत स्वीकृति दी गयी थी। जल विद्धुत परियोजना हेतु पिथौरागढ़ वन प्रभाग की 3.18 हेक्टेअर तथा बागेश्वर वन प्रभाग की 0.34 हेक्टेअर (कुल 3.52 हेक्टेअर) वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया था। भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के अनुसार पिथौरागढ़ वन प्रभाग की प्रत्यावर्तित भूमि इको क्लास-VI तथा हरियाली घनत्व 0.2 थी तथा बागेश्वर वन प्रभाग की भूमि इको क्लास-V तथा हरियाली घनत्व 0.1 थी। जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन॰पी॰वी॰ की मद में 3.52 हेक्टेअर वन भूमि हेतु एनपीवी ₹ 23,12,640/- की धनराशि ही जमा की गयी थी जबकि नियमानुसार एनपीवी निम्न प्रकार देय थी:

प्रभाग का नाम	**प्रत्यावर्तित वन भूमि (हे॰ में)**	**दर/हेक्टेअर (₹ में)**	**एनपीवी (₹ में)**
पिथौरागढ़ वन प्रभाग	3.18	6,99,000	22,22,820.00
बागेश्वर वन प्रभाग	0.34	6,57,000	2,23,380.00
योग			**24,46,200**

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 1,33,560/-(₹24,46,200-₹23,12,640) एनपीवी की राशि कम जमा की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इको क्लास तय के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशनुसार एनपीवी ली जाती है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित Central Empowered Committee द्वारा अपने आदेश 1-19/CEC/SC/2006-Pt दिनाँक 05.06.2018 के द्वारा इको क्लास अनुसार निर्धारित दरों अनुसार एनपीवी नहीं ली गयी थी। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई पृथक निर्णय प्रभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(D) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 216/X-4-18/1(46)/2018 दिनाँक 20.03.2018 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में अटल सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मार्ग मार्ग के निर्माण हेतु 0.63 हेक्टेअर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त परियोजना में 64 वृक्षों का पातन किया जाना है। नियमानुसार 01 हेक्टेअर से कम वन भूमि के प्रत्यावर्तन में प्रभावित वृक्षों के 10 गुणी संख्या के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से जमा कराई जानी चाहिये।

जाँच में पाया गया कि वसूली वर्ष 2018-19 की दर ₹ 1100 प्रति वृक्ष की दर से 640 वृक्षों के रोपण हेतु ₹ 7,04,000/- की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा न कर रोड साइड वृक्षारोपण मद में 3.00 किमी हेतु ₹ 4,17,827/- प्रति किमी की दर से धनराशि ₹ 12,53,481/- जमा की गयी थी। परन्तु, एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु ₹ 7,04,000/- की राशि जमा नहीं करायी गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि शासनादेश की शर्तों के अनुरूप उचित वृक्षारोपण व एनपीवी की धनराशि जमा की गयी थी। प्रयोक्ता एजेन्सी से 10 गुना वृक्षों के मूल्य की धनराशि हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।

अतः प्रभाग द्वारा नियमानुसार रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण की राशि वसूल नहीं की गयी थी।

(E) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 446/X-4-18/1(82)/2018 दिनाँक 25.04.2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम से रूंग-सिर्खा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.45 हेक्टेअर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त परियोजना में 203 वृक्षों का पातन किया जाना है। नियमानुसार 01 हेक्टेअर से कम वन भूमि के प्रत्यावर्तन में प्रभावित वृक्षों के 10 गुणी संख्या के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से जमा कराई जानी चाहिये।

जाँच में पाया गया कि वसूली वर्ष 2018-19 की दर ₹ 1100 प्रति वृक्ष की दर से 2030 वृक्षों के रोपण हेतु ₹ 22,33,000/- की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा न कर रोड साइड वृक्षारोपण मद में 3.00 किमी हेतु ₹ 4,17,827/- प्रति किमी की दर से धनराशि ₹ 12,53,481/- जमा की गयी थी। परन्तु, एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु ₹ 22,33,000/- की राशि जमा नहीं करायी गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि शासनादेश की शर्तों के अनुरूप एनपीवी व उचित वृक्षारोपण की धनराशि धनराशि जमा की गयी है । प्रयोक्ता एजेन्सी से 10 गुना वृक्षों के मूल्य की धनराशि हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।

अतः प्रभाग द्वारा नियमानुसार रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण की राशि वसूल नहीं की गयी थी।

इस प्रकार उपरोक्त पाँच प्रकरणो मे पाया गया कि वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु हस्तांतरण में प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा एन॰पी॰वी की धनराशि **₹ 2,26,086/-** (₹ 92,526 + ₹ 1,33,560) तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मदों में रोड साइड हेतु **₹ 62,46,514/-** (₹ 1775765+₹ 4470749) एवं रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु **₹ 29,37,000/-(₹704,000+₹22,33,000)** इस प्रकार कुल **₹ 94,09,600/- (₹ 226086 + ₹ 29,37,000+₹62,46,514)** कम जमा कराये गये थे।

अतः धनराशि **₹ 94,09,600/-** की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-2 : वन-निगम द्वारा विकास कार्य लाटों की रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ₹ 41.76 लाख ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पत्रावली व पंजिका की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रभाग के पत्रांक 3362/9-1 दिनाँक 02-04-2018 द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त को प्रभाग द्वारा वन विकास निगम, पिथौरागढ़ को वर्ष 2017-18 में आवंटित लाटों का विवरण प्रेषित किया गया था। पत्र के अनुसार 65 लॉट जो कि विभिन्न विकास कार्यों से संबन्धित हैं का आवंटन वन विकास निगम, पिथौरागढ़ को किया गया था। आगे, पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्रभाग के पत्र संख्या 3648/9-1 दिनाँक 28.04.2018 द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त को रॉयल्टी निर्धारण सम्बन्धी प्रेषित पत्र में प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में वन विकास निगम को आवंटित विकास कार्य लाटों का अनुमानित रॉयल्टी आगणन प्रेषित किया गया है। इन विकास कार्य लाटों के आयतन का वर्ष 2017-18 की रॉयल्टी दरों पर आंगणन करने पर **₹41,78,550** की रॉयल्टी आंगणित होती है (**विवरण संलग्न**)।

आगे, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा उपरोक्त लाटों से संबन्धित रॉयल्टी जमा नहीं करायी है। आगे, यह भी पाया गया कि प्रभाग द्वारा विकास कार्य की रॉयल्टी भुगतान हेतु प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक को लिखे गए पत्र के प्रतिउत्तर में वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकाष्ठ के विक्रय पश्चात 20% की राशि काटकर ही अवशेष धनराशि प्रभाग को हस्तांतरित की जायेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि निगम द्वारा रॉयल्टी जमा नहीं करायी गयी है एवं अवगत कराया गया कि रॉयल्टी के स्थान पर विक्रय राशि लिए जाने हेतु कोई शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

विकास कार्य की लाटों हेतु विक्रय के पश्चात विक्रय राशि जमा कराये जाने हेतु शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकाष्ठ विक्रय में लगने वाले समय को निर्धारित कर पाना असंभव है एवं राजस्व अनिश्चित काल तक अवरोधित हो सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वन विकास निगम द्वारा उनके स्थायी आदेश संख्या 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनाँक 14.09.2016 के आधार पर विकास कार्य लाटों का रॉयल्टी भुगतान विभाग को नहीं किया जा रहा है। निगम के उक्त आदेश में वर्णित आदेशों (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-1/2007/FC दिनाँक 11.12.2008 एवं F.No. 5-1/98-FC/पीटी-II दिनाँक 29.03.2005 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक 783/1-42 दिनाँक 07.09.2016) का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि इन आदेशों में विकास कार्यों हेतु आवंटित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान न किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

चूँकि रॉयल्टी वसूली हेतु प्रभाग द्वारा उच्च स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त न ही रॉयल्टी आंगणन हेतु वृक्षों का आयतन मिलान ही वन विकास निगम द्वारा कराया गया था।

अतः वन विकास निगम से विकास कार्य लाटों की रॉयल्टी **₹ 41,78,550** जमा न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-3 : लीज रेन्ट न वसूल किया जाना ` 8.56 लाख।

शासनादेश संख्या: 6450/14-3-930/77 दिनाँक 02.07.1979 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनाँक 09 सितम्बर 2005 द्वारा वन-भूमि पर स्वीकृत लीजों के नवीनीकरण/लीज रेन्ट लिये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में लीजों से संबन्धित पंजिका जाँच में पाया गया कि निम्न 06 लीज धारकों द्वारा निर्धारित लीज-रेन्ट लेखापरीक्षा तिथि (02/2019) तक जमा नहीं कराया गया था:

क्रम संख्या	लीज धारक का नाम	लीज रेन्ट वार्षिक (₹ में)	अवधि जिसका लीज रेन्ट जमा नहीं है	कुल अवधि (वर्ष में)	जमा की जाने वाली राशि (₹ में)
1	छिरकिला लघु जल विद्धुत परियोजना	3760	2018-19	1	3760
2	कूलागाड़ जल विद्धुत परियोजना	1966	2018-19	1	1966
3	भिखुरिया जल विद्धुत परियोजना	5620	2014-15 to 2018-19	5	28100
4	33/11 के॰वी॰ उप-संस्थान, बेरीनाग	60000	2017-18 to 2018-19	2	120000
5	भिखुरिया लघु विद्धुत योजना के अन्तर्गत 11 के॰वी॰ विद्धुत पारेषण लाइन	43120	2014-15 to 2018-19	5	215600
6	धौलीगंगा जल विद्धुत परियोजना (पंचम)	485160	2018-19	1	485160
योग					**8,54,586**

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा एक लीज-धारक (मन्दाकिनी हाइड्रो पावर प्रा॰ लि॰, देहरादून) द्वारा लीज-रेन्ट की देय राशि ₹ 44,175/- लेखापरीक्षा अवधि में जमा कराया गया। परन्तु, उपरोक्त लीजों के सम्बंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लीजधारकों से धनराशि जमा कराये जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक लीजधारकों से लीज रेन्ट की वसूली नहीं की गयी थी।

अतः लीज रेन्ट न वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: लम्बित भुगतान ₹ 54.02 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वरा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्त उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि माह जनवरी 2019 तक प्रभाग मे मानव क्षति (मृत्यु) का 01 प्रकरण, घायल व्यक्ति के 24 प्रकरण एवं पशु क्षति के 500 (कुल 525) प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: **₹ 3.00** लाख, **₹ 5.55** लाख व **₹ 45,46,500** (**कुल ₹ 54,01,500**) भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (02/2019) तक नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मानव क्षति के प्रकरणो में पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को नियमानुसार 30 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि धनराशि आवंटित होने पर तथा जाँच पूर्ण हो जाने पर समस्त देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों के अनुसार माह 01/2019 को प्रभाग के शीर्षक खाते में **₹ 9,91,437/-** की राशि अवशेष थी, जिससे कई प्रकरण निस्तारित किये जा सकते थे। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था एवं मानव क्षति के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित को नियमानुसार 30 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने व **₹ 54,01,500** लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-2 : अग्रिम मृदा कार्य किये बिना पौधरोपण पर अधोमानक व्यय ` 20.20 लाख ।

वृक्षारोपण संहिता, वन-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वितीय पुनरीक्षण जून 2016 के बिन्दु 2.2.20 (वृक्षारोपण कार्य का समय) के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की सफलता के लिए समय से अग्रिम मृदा कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालय वन-संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के स्थायी आदेश/ संशोधन संख्या 35-c/9-3, अल्मोड़ा दिनाँक 02.02.2015 के अनुसार रोपण हेतु पौध तैयार करने में दो वर्षों में ` **7.04** का व्यय होता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य कर 4,26,064 गड्ढों को तैयार किया गया था एवं वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य नहीं किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 4,26,064 गड्ढों के सापेक्ष 2,80,576 पौधे रोपित किए गये थे एवं वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिना अग्रिम मृदा कार्य किये ही 2,86,982 पौधों का रोपण कर दिया गया था। इस प्रकार वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिना अग्रिम मृदा कार्य किये 2,86,982 पौधों का रोपण किये जाने से ` **7.04** प्रति पौध की दर से ` **2020353/-** का अधोमानक पौधरोपण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि बिना अग्रिम मृदा कार्य किये पौधरोपण नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-3 :कार्यपूर्ति गारंटी (परफॉर्मेंस सेक्यूरिटी) जमा न कराया जाना ₹ 14.90 लाख ।

शासनादेश संख्या 130/XXVII(7)32/2017 दिनाँक 14.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017" के नियम-44 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराये जाने वाले कार्य के प्रकार, कार्य की मात्रा तथा आवश्यकता को देखते हुये कार्यपूर्ति गारंटी (परफॉर्मेंस सेक्यूरिटी) जो कि संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत है एवं धरोहर राशि जो कि संविदा मूल्य का 2 प्रतिशत है, लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय के निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी कार्यों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच करने पर पाया गया कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना एसपीए (आर) के अन्तर्गत निम्न कार्यों की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति e-tendering प्रक्रिया द्वारा की गयी एवं कार्यों के सम्पादन हेतु दिनाँक 24-12-2018 को अनुबन्ध गठित किये गये:

क्रम संख्या	कार्य का नाम	लागत (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
1	सुमदुम-सोबला पैदल बटिया मरम्मत व पुनर्निर्माण	263.03399	24-12-2018	31-03-2019
2	पातों से रालम पैदल बटिया व पुनर्निर्माण	87.62186	24-12-2018	31-03-2019

उपरोक्त पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि संबन्धित ढेकेदारों से किये गये अनुबन्धों की शर्त (clause-3) के अनुसार ₹ 1.00 करोड़ से कम के अनुबन्ध हेतु कार्य की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत performance security अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने की तिथि पर तथा 3 प्रतिशत ठेकेदार के प्रथम रनिंग बिल से लिये जाने एवं ₹ 1.00 करोड़ से अधिक के अनुबन्ध में कार्य की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत performance security अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने की तिथि पर लिये जाना था। नियमानुसार परफॉर्मेंस सेक्यूरिटी ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि तक बन्धक रखी जानी चाहिये जिससे कि अधोमानक कार्य की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जा सके।

उक्त दोनों कार्यों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि संबन्धित ठेकेदारों से नियमानुसार क्रमश: ₹ 5,28,000/- व ₹ 1,80,000/- धरोहर राशि जमा कराई गयी थी परन्तु, संबन्धित ठेकेदारों से अनुबन्ध गठन की तिथि 24-12-2018 को नियमानुसार क्रमश: ₹ 13.1517 लाख (₹ 263.03399*5%) व ₹ 1.7524 लाख (₹ 87.62186*2%) (कुल ₹14.9041

लाख) performance security जमा नहीं कराई गयी थी। आगे यह भी पाया गया कि संबन्धित ठेकेदारों को क्रमश: ₹ 78.00 लाख व ₹ 26.00 लाख (कुल ₹104 लाख) का आंशिक/अग्रिम भुगतान भी प्रभाग द्वारा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भी ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि संबन्धित ठेकेदार मुख्यालय में उपलब्ध न होने से performance security जमा नहीं हो सकी जिसे जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अनुबन्ध गठन की तिथि को performance security जमा कराई जानी चाहिये थी जो कि नहीं कराई गयी थी एवं ठेकेदारों को किए गये आंशिक भुगतान से भी इसकी वसूली नहीं की गयी थी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 1 : जमानत राशि जमा न कराया जाना ` 0.56 लाख ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में जमानत पंजिका की जाँच किए जाने पर पाया गया कि निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जमानत राशि वर्तमान तक कार्यालय में जमा नहीं कराई गयी थी:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पदनाम	जमानत राशि (रु में)	जमा धनराशि (रु में)	अवशेष राशि (रु में)
1	अर्जुन सिंह धौनी	सर्वेयर	2000	0	2000
2	कुण्डल सिंह भण्डारी	क0 स0	500	0	500
3	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	व0 क्षे0 अ0	20000	10000	10000
4	जगदीश चन्द्र जोशी	व0 क्षे0 अ0	20000	10000	10000
5	मनोज सनवाल	व0 क्षे0 अ0	20000	0	20000
6	राजेन्द्र सिंह बोरा	वन दरोगा	10000	5000	5000
7	मनोज कुमाए पंत	वन रक्षक	4000	0	4000
8	मनोज कुमार टोलिया	वन रक्षक	4000	0	4000
9	जगदीश राम	चौकीदार	200	0	200
10	राजेन्द्र सिंह	चौकीदार	200	0	200
	योग				**55900/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जमानत राशि जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक जमानत राशि जमा नहीं कराई थी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
33/13-14	-	01	
18/15-16	-	01,02,03,04	
24/16-17	01	01,02,03	
129/17-18	-	01	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
33/13-14	-	01	
18/15-16	-	01,02	
24/16-17	01	01,02	
129/17-18	-	01,02,03	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोतम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताए: शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	डा0 विनय भार्गव	प्रभागीय वनाधिकारी
2		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र